न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू, जिला जयपुर

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 218/2016 पुनः दर्ज 23/2021

1. मूलचन्द पुत्र नानगराम जाति कुम्हार निवासी झाग, तहसील मौजमाबाद, जयपुर।
2. गोरधन पुत्र रामनारायण जाति अहिर निवासी झाग, तहसील मौजमाबाद, जयपुर।
3. रूपनारायण पुत्र सूरजमल जाति सोनी निवासी झाग, तहसील मौजमाबाद, जयपुर।
4. सत्यनारायण यादव पुत्र सुवालाल जाति अहीर निवासी झाग, तहसील मौजमाबाद, जयपुर।
5. जगदीश प्रसाद पुत्र सुवालाल जाति कुम्हार निवासी झाग, तहसील मौजमाबाद, जयपुर।

(निगरानीकार)

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत झाग, पंचायत समिति दूदू हाल मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. ईश्वरलाल पुत्र राधाकिशन जाति कुम्हार निवासी झाग, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर। (मृतक)

2/1 घीसी देवी पत्नी ईश्वरलाल जाति कुम्हार निवासी झाग तहसील मौजमाबाद हाल निवासी सुल्तानियां की ढाण, बेगस वाया बगरू, जिला जयपुर।

2/2 ग्यारसीलाल पुत्र ईश्वर लाल जाति कुम्हार निवासी झाग तहसील मौजमाबाद हाल निवासी सुल्तानियां की ढाण, बेगस वाया बगरू, जिला जयपुर।

2/3 रमेशचन्द पुत्र ईश्वरलाल जाति कुम्हार निवासी झाग तहसील मौजमाबाद हाल निवासी सुल्तानियां की ढाण, बेगस वाया बगरू, जिला जयपुर।

2/4 लाली देवी पुत्री ईश्वरलाल पत्नी नाथू जाति कुम्हार निवासी झाग तहसील मौजमाबाद हाल निवासी चौरू तहसील फागी, जिला जयपुर।

2/5 लछमा देवी पुत्री ईश्वरलाल पत्नी बाबूलाल जाति कुम्हार निवासी झाग तहसील मौजमाबाद हाल निवासी चौरू तहसील फागी, जिला जयपुर।

2/6 चन्दा पुत्री ईश्वरलाल पत्नी गोपाल लाल जाति कुम्हार निवासी झाग, तहसील मौजमाबाद हाल निवासी मण्डावरी, तहसील फागी, जिला जयपुर ।

3. बद्री पुत्र राधाकिशन जाति कुम्हार निवासी झाग, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल निवासी देवला, गोपाल जी चौपडा फार्म हाउस, पुनियां की ढाणी के सामने वाया फुलेरा, पोस्ट बोराज, जिला जयपुर।

(गैरनिगरानीकार)

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान

पंचायत अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

अभिभाषक निगरानी कर्ता:– श्री अवधेश कुमार पारीक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

निर्णय दिनांक :– 19.08.2025

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 59/2018 आदेश दिनांक 28.08.2019 में प्रार्थना पत्र आदेश नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार होने से निगरानी संख्या 218/2016 पुनः रेस्टोर की गई।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि गैरनिगरानीकार संख्या 1 ग्राम पंचायत झाग, पंचायत समिति दूदू हाल पंचायत समिति मौजमाबाद ने ग्राम झाग की आबादी भूमि में स्थित आम रास्ता व सार्वजनिक चौक की भूमि जो सभी मोहल्ला वासियों के लिए शादी विवाह व अन्य सामाजिक कार्य एवं लोगों के आने जाने के लिए आम रास्ते के काम आती है जिसके बाबत दिनांक 24.11.2009 को प्रस्ताव संख्या 4 पारित कर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 व 3 की हक में रियायति दर पर पट्टा संख्या 44 दिनांक 21.12.2009 राजस्थान पंचायत राज नियम व प्रावधानों के विपरीत जारी किया गया है। आम रास्ते व सार्वजनिक चौक का पट्टा दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष एक आवेदन पत्र बिना दिनांक अंकित कर पेश कर कथन किया कि कब्जेशुदा आबादी रहवासीय भूमि का पट्टा दिया जावे, जिस पर ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय में पट्टेशुदा भूमि आम रास्ते के रूप में काम में लिया जाना अंकित कर पंचायती राज अधिनियम के नियम 1996 के नियम 1958 के तहत रियायती दर पर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया है। गैरनिगरानीकार संख्या 2 व 3 के नाम पूर्व में 268 वर्गगज भूखण्ड दिनांक 23.04.2006 को पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी पुनः पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। कब्जेधारी को पट्टा जारी करने से पूर्व सर्वे किया जाता है। पत्रावली में ऐसी कोई मौका रिपोर्ट संलग्न नहीं है जो नियम 146 (3) में प्रदत्त प्रावधानों का उल्लघंन है। गवाह के बयान पर कोई दिनांक गवाह का उल्लेख आदेशिका में नहीं किया गया है। पूर्व में पट्टा मिसल संख्या 16/04–05 पट्टा संख्या 4181 दिनांक 23.04.2008 को जारी किया गया है। उक्त पट्टे में दक्षिण दिशा में 16 फुट का रास्ता व सार्वजनिक चौक अंकित है। जिस रास्ते का उपयोग पडोसी निगरानीकार करते है। गैरनिगरानीकार द्वारा बदनियतपूर्वक उक्त रास्ते व सार्वजनिक चौक की भूमि का पट्टा प्राप्त किया गया है। पूर्व में सार्वजनिक चौक की भूमि का पट्टा छीतर पुत्र सूरमा जाति कुम्हार को जारी किया गया था। जो निगरानी संख्या 05/2012 उनवानी गणेश बनाम ग्राम पंचायत झाग न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.09.2013 स्वीकार कर पट्टा खारिज किया गया। गैर निगरानीकार ने पट्टा प्राप्त करने के लिए 100 वर्ष से भी ऊपर का कब्जा होना अंकित कर उक्त भूमि रिहायशी प्रयोजनार्थ उपयोग में होना अंकित किया है। जबकि उक्त भूमि मौके पर आम रास्ता व सार्वजनिक चौक के रूप में है। नक्शा गवाह में भैरू पुत्र भोलू यादव ने निगरानीधीन पट्टे की भूमि का आम रास्ता उपयोग होना अंकित किया है। यदि उक्त भूमि पर कब्जा होता तो पूर्व पत्रावली संख्या 16/2004–2005 निर्णय दिनांक 21.04.2008 को सम्पूर्ण भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने की कार्यवाही की जाती। प्रश्नाधीन पट्टे में पुश्त पर पूर्व से पश्चिम 16 फुट उत्तर से दक्षिण 50 फुट है। जबकि पट्टे की पुश्त पर ही नक्शे में पूर्व से पश्चिम माप 15 फुट है तथा उत्तर से दक्षिण माप 50 फुट है। प्रश्नाधीन निर्णय एवं पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। घोषणा के पश्चात पट्टा जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व हल्का पटवारी से कोई रिपोर्ट नहीं ली गई है। विवादित भूखण्ड का दिनांक 26.12.2008 को पंचायत समिति दूदू के आदेशानुसार सदस्यों मय पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा मौका देखा गया, मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शें के ग्राम वासियों के बयानों में पट्टे की भूमि को खाली चौक व सभी मकानों में जाने आने का रास्ता बताया है। प्रश्नाधीन पट्टे के पश्चिम दिशा के भूखण्डधारी श्री गणेश के पिता लादूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण को जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 12.06.1979 के पूर्व की तरफ सार्वजनिक चौक अंकित किया गया है। लालाराम पुत्र मंगलाराम कुम्हार को जारी पट्टा संख्या 4 दिनांक 09.05.1990 में दक्षिण की तरफ जिसे सार्वजनिक चौक अंकित किया है। संबंधित पत्रावली पर निर्णय दिनांक 23.11.2009 कही भी कोरम के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। केवल सरपंच के सम्पूर्ण आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर है। इस प्रकार पूरी कार्यवाही मिलीभगत से की गई है। नोटिस दिनांक 22.10.2009 को जारी किया गया है नोटिस पडत पर एक हस्ताक्षर एवं तीन नाम अंकित है।

अतिरिक्त कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

इसके साथ वल्दियत, उम्र पता व दिनांक अंकित नहीं है। चरपा किस कर्मचारी के द्वारा किया गया अंकित नहीं है। दिनांक 02.06.2016 को गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 के द्वारा इस भूमि पर ग्राम पंचायत से पट्टा जारी करवाने एवं मकान बनाने की धमकी देने पर नकल दिनांक 12.07.2009 को जानकारी होने के बाद यह निगरानी पेश की गई है। प्रार्थना पत्र अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 प्रस्तुत किया जा रहा है। निगरानी का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय में निहित है। निगरानी याचिका निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत झाग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2009 एवं उसकी अनुपालना में पारित पट्टा संख्या 44 दिनांक 21.12.2009 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त निगरानी के संबंध में निगरानीकार ने अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये।

1. ग्राम पंचायत में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जिसमें अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी पूर्व पट्टा शुदा भूमि को दर्शाते हुए 16 फुट गुणा 50 फुट भूमि का पट्टा जारी करने का अनुरोध किया गया है। इस भूमि पर 100 वर्षों से भी अधिक का कब्जा बताया गया है। इस दस्तावेज के संबंध में अप्रार्थी का कथन है कि इस भूमि पर कब्जा यदि 100 वर्ष से पूर्व का है तो अपने पूर्व पट्टे के साथ इस भूमि का पट्टा क्यों नहीं लिया गया।
2. ग्राम पंचायत झाग की आदेशिका की छायाप्रति के अनुसार दिनांक 07.09.2009 को पंच श्री सुनील, रामकरण व तेजसिंह को आवेदित भूमि का मौका रिपोर्ट हेतु नियुक्ति किया गया। दिनांक 22.10.2009 को रिपोर्ट प्राप्त होने पर आपत्ति नोटिस एक माह का जारी करने के आदेश दिये गये। दिनांक 23.11.2009 को कोई आपत्ति पेश नहीं होने के कारण प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 24.11.2009 अंकित कर आदेश में अंकित किया है कि उक्त आवंटीत भूमि का अप्रार्थीगण अपनी पूर्व पट्टेशुदा भूमि पर आने जाने के लिए उपयोग करते है। इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं हो इसके लिए पट्टा जारी करवाना चाहते है। कोरम रहवासीय भूमि का विक्रय पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। भूमि 15 फुट गुणा 50 फुट का विक्रय राशि 890/– रूपये जमा होने पर पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये है।
3. ग्राम पंचायत झाग के द्वारा जारी आपत्ति नोटिस दिनांक 22.10.2009 को जारी किया गया है।
4. बयान गवाह श्री ईश्वरलाल, सुरजकरण, राजूलाल व बद्रीनारायण ने अपने बयानों में उक्त भूमि पर स्वयं का कब्जा होना अंकित किया गया है। जबकि पट्टा संख्या 44 दिनांक 04.04.2008 को ईश्वर व बद्रीनारायण के हक में 10 रूपये प्रतिवर्ग गज की दर से जारी किया गया है। इस पट्टे में भूमि की माप अंकित दिशाऐं एवं आवेदन में अंकित माप दिशाऐं मेल नहीं खाती है।
5. ग्राम पंचायत के द्वारा पूर्व में जारी किये गये ईश्वरलाल व बद्रीनारायण को जारी पट्टा पत्रावली की नकल पेश की गयी है। जिसमें इस विवादग्रस्त भूमि का रास्ते के रूप में उपयोग होना अंकित किया गया है। पूर्व पट्टा भी नोटिस भूमि क्रय के संबंध में जारी कर पट्टा रियायती दर दिनांक 23.04.2008 को पट्टा संख्या 4181 पर जारी किया गया है।
6. अन्य जारी पट्टा लादूराम कुम्हार के पट्टे की प्रति में पूर्व में सार्वजनिक चौक होना अंकित किया गया है।
7. पंचायत निगरानी संख्या 50/2012 गणेशनारायण बनाम ग्राम पंचायत झाग में न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ के द्वारा दिनांक 04.09.2013 को पारित निर्णय की प्रति पेश की गई है। इसमें ग्राम पंचायत के द्वारा संकल्प संख्या 3 दिनांक 21.10.2009 आज्ञा दिनांक 21.10.2009 के अनुसरण में सार्वजनिक चौक की भूमि में जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 21.12.2009 निरस्त किया जा कर ग्राम पंचायत को पुनः न्यायसंगत निर्णय जारी करने हेतु रिमाण्ड किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

8. ग्राम पंचायत झाग के द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू को भिजवाई गई जॉच रिपोर्ट दिनांक 17.06.2008 की प्रति प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक में जारी पट्टे के संबंध में पुनः 15 फुट चौडी आवंटित भूमि को रास्ते की भूमि बताया गया है।

उक्त निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 द्वारा न्यायालय के समक्ष पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2017 के विरूद्ध आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 28.08.2019 से स्वीकार किया जाकर निगरानी में सुनवाई हेतु पत्रावली नियत की गई थी। निगरानीकार द्वारा आपत्ति की गई थी कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र पर ही पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली संख्या 21/2018 नियत की गई थी। ऐसी स्थिति में गैरनिगरानीकार संख्या संख्या 2 व 3 की तलबी कराये जाने की कानूनन आवश्यकता नहीं है। उन्हे स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष अपना जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत करने थे जो आदिनांक तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया, ना ही खण्डन में दस्तावेज पेश किये ओर ना ही उपस्थित आये ऐसी स्थिति में पत्रावली पर बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जावें। अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्ति पर मनन एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन उपरांत अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली रिकॉर्ड तलब हेतु नियत की गई थी। श्रीमान जिला कलक्टर जयपुर के आदेश कमांक कोर्ट/क्षे.अ./2021/525 दिनांक 01.02.2021 द्वारा क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय को प्राप्त हुई। गैरनिगरानीकार संख्या 2 व 3 को उपस्थित होने हेतु मौका दिया गया। गैरनिगरानीकार संख्या 2 ईश्वरलाल के फौत होने पर वारिसान की सूची निगरानीकार द्वारा पेश की गई। वारिसान की सूची अनुसार तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. के आदेश दिये गये। अप्रार्थी 2 के वारिस लाली पुत्री ईश्वर व लछमा देवी पुत्री ईश्वर को जारी रजिस्टर्ड नोटिस पर लेने से इन्कार की रिपोर्ट प्राप्त हुई। आवाज दिलाई गई। हाजिर नहीं है। इसलिए अप्रार्थी 2/4 व 2/5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष के नोटिसों पर बाहर रहने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। अतः पुनः सही पते के साथ तलबाना पेश करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी 3 बद्री पुत्र राधाकिशन व अप्रार्थी 2 के वारिस घीसी पत्नी ईश्वरलाल, ग्यारसीलाल पुत्र ईश्वरलाल, रमेशचन्द्र पुत्र ईश्वरलाल को जारी रजिस्टर्ड नोटिस पर लेने से इन्कार किया की रिपोर्ट प्राप्त हुई व अप्रार्थी संख्या 2/6 चन्दा पुत्री ईश्वर की ट्रेक रिपोर्ट डिलीवरी कन्फर्म की रिपार्ट पेश की। आवाज दिलाई गई। हाजिर नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 व अप्रार्थी संख्या 2/1, 2/2, 2/3, 2/6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली की स्थिति संक्षेप में निम्न प्रकार पाई गई।

1. श्री रमेश चन्द्र प्रजापत के द्वारा ईश्वर बद्री नारायण पुत्र राधाकिशन की ओर से एक प्रार्थना पत्र सरपंच ग्राम पंचायत झाग के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया गया कि 100 वर्षो से भूमि का रहवासी उपयोग किया जा रहा है। इस 16 फुट गुण 50 फुट भूमि का पट्टा जारी करवाया जावें। यह प्रार्थना पत्र किस दिनांक को प्रस्तुत हुआ अंकित नहीं है। आदेशिका में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2009 को उचित आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। जिस पर मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 07.09.2009 को तीन पंचों को नियुक्ति किया गया है।
2. सरपंच के आदेश पर पंचों की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.09.2009 की मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि नजरीया नक्शा बना कर नाप जोख की गई। इस नक्शें में आवेदित भूमि की लम्बाई व चौडाई अंकित की गई है। आस पास की स्थिति को नहीं दर्शाया गया है। इसमें भूमि मौके पर बद्रीनारायण पिता राधाकिशन कुम्हार के निकास के रूप में आने जाने की कदीम कब्जे शुदा रहवासीय भूमि पूर्व पश्चिम 16 फुट व दक्षिण भुजा 50 फुट सरकारी रोड बाउन्ड्री छोड कर सडक उत्तर दिशा में स्थित है। अंकित किया है। इस पर इनका कब्जा 50 वर्ष से ऊपर का है। यह भूमि कब्जे की भूमि होने से आपसी बातचीत से जरिये ही कर सकते है। एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया जावे। आदेशिका में अंकित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 24.11.2009 में अंकित किया गया है कि यह भूमि आने जाने की भूमि है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

इस रिपोर्ट से स्पष्ट रूप है कि यह भूमि पूर्व में आवंटित भूमि पर रास्ते के लिए उपयोग अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा किया जाता है।

बहस निगरानीकार सुनी गई निगरानीकार के अभिभाषक के द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर मौखिक रूप से निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रकरण में ग्राम पंचायत के द्वारा आम रास्ते की एवं सार्वजनिक चौक की भूमि का पट्टा गैर निगरानीकार के पक्ष में जारी किया गया है। मौका रिपोर्ट में विवादग्रस्त स्थल की स्थिति को गलत रूप से प्रगट किया गया है। आसपास के मकानों की स्थिति को गलत रूप से प्रगट किया गया है। गैर निगरानीकार संख्या 2 व 3 ने अपने आवासीय भूखण्ड 268 वर्गगज का पट्टा संख्या 16/2004–05 में विवादित भूमि को रास्ते की होना माना गया है। विवादित भूखण्ड के पट्टे में पूर्व दिशा में जो छीतर की पट्टेशुदा भूमि बतायी गई है उस छीतर के पट्टे को न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ जिला जयपुर शहर जयपुर के द्वारा निर्णय दिनांक 04.09.2013 को इस आधार पर खारिज किया कि विवादग्रस्त भूखण्ड व आसपास की भूमि सार्वजनिक चौक की भूमि है। पंचायत के द्वारा उक्त पट्टा जारी करने के लिए कोई नियम प्रक्रिया नहीं अपनाई है। मौका रिपोर्ट नहीं की गई है ना ही विधिवत रूप से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। अप्रार्थी को रियायती दर पर पूर्व में पट्टा धारी होते हुए भी यह पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। न्यायालय के द्वारा विधिवत नोटिस जारी कर ग्राम पंचायत एवं अप्रार्थी 2 व 3 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है। विपक्षीगण के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय दिनांक 27.04.2017 के द्वारा पट्टा संख्या 44 दिनांक 21.12.2009 को इस आधार पर खारिज किये जाने की आज्ञा दी गई कि सार्वजनिक रास्ते की भूमि को एक भूखण्ड के रास्ते के उपयोग हेतु आवंटन किया जाना सार्वजनिक हित में उचित नहीं है। निर्णय दिनांक 27.04.2017 एकपक्षीय को विपक्षी संख्या 2 व 3 की आपत्ति पर निर्णय दिनांक 28.08.2019 के द्वारा निरस्त किया जाकर उन्हे सुनवायी का आधार प्रदान किया गया है पुनः विपक्षीगण के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। जो तथ्य निर्णय दिनांक 27.04.2017 में अंकित है उनका कोई खण्डन नहीं है। निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

हमने बहस निगरानीकार सुनी गई। निगरानीकार के द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व किये गये कथनों पर मनन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम पंचायत के द्वारा श्री ईश्वर लाल एवं बद्रीनारायण के हक में ग्राम पंचायत झाग के द्वारा कब्जेशुदा भूमि जिसका मौका निरीक्षण कर वार्ड पंचों की रिपोर्ट के आधार पर कौरम द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन के पश्चात नियमानुसार शुल्क जमाकर पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य दस्तावेज व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया कि यह भूमि सार्वजनिक रास्ते की भूमि है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से यह जाहिर है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को जारी किये गये पट्टे में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं पाई गई है। निगरानीधीन पट्टे में कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत झाग का निर्णय दिनांक 24.11.2009 यथावत रखा जाता है। पट्टे की सीमा से बाहर यदि कोई अतिक्रमण पाया जावें तो उसके लिए ग्राम पंचायत झाग नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी के निगरानी में वर्णित तथ्य साबित नहीं होने से प्रार्थी की निगरानी धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति. जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner